उपायुक्त – सह – जिला दण्डाधिकारी का न्यायालय, पूर्वी सिंहभूम, जमशेदपुर।

अधिहरण वाद सं0- 117/2012-13

राज्य–बनाम – चन्द्रशेखर गोराई

	आदेश
	इस वाद की कार्यवाही पुलिस अधीक्षक (नगर), पूर्वी सिंहभूम, जमशेदपुर ने अपने पत्रांक–507 / अप0शा0, दिनांकः–05.03.12 के साथ जुगसलाई (बागबेड़ा) थाना काण्ड सं0–08 / 12, दिनांक–05.01.12, धारा–7 में जप्त एल0पी0जी0 गैस सिलिण्डरों को आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा–6 के अन्तर्गत अधिहरण हेतु दिनांक 27 / 04 / 2012 को आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा–6(बी) के तहत कारण पृच्छा नोटिस निर्गत किया गया था। विपक्षी चन्द्रशेखर गोराई द्वारा समर्पित कारण पृच्छा के कंडिका 1 से 5 तक में उल्लेख किया गया है कि " (1) That this opposite party is absolutely innocent and has committed no offence under E.C. Act and has been falsely implicated in this case. (2) That the case of the prosecution as appears from the self-statement of O.C. Bagbera in brief is that on night of 4/5.01.12 on receiving information regarding illegal trade in L.P.G. gas by this Opp. Party in his house he entered the information in the station dairy, informed about the same to his superior officer, formed a raiding party, informed the Area Manager of L.P.G. as well as the Marketing Officer of I.O.L. and raided the spot and recovered 7 cylinders of 14.2 kg each, 2 small tank of gas cylinder, 3 gas nozzles etc. As the Opp party failed to produce any document to show his authority to keep those cylinders and as such the police thereafter registered a case u/s 7 E.C. Act vide Jugsalai (Bagbera) P.S. Case no. 8/12 dated 5/1/12 against him... (3)That the case of his OPP. Party is that those cylinders belonged to his customers were kept with him for repairs. The cylinders did not belong to him. (4) For that in the present case the search and seizure is not according to law and is without jurisdiction. That clause 13 of the said order clearly lays down that any officer of the Central or State Govt not below the rank of an Inspector duly authorized by a general or special Order by the Central not below the rank of Sales Officer, authorized by the Central Govt may with a view to securing compliance of the Order enter and search any place seize stock of L.P.G. along with container and/or equipment such as cylinder, gas cylinder values etc. in respect of which he has reason to believe that a contravention of the Order has been or is being or is about to be made... (5) That the informant of this case is not a person authorized by government to search and seize under the said Order and as such search seizure etc done by him is without jurisdiction and is illegal. It has been repeatedly held by our Courts that a valid search and

seizure is sine qua non for starting a criminal prosecution and in the absence of the same the criminal prosecution cannot continue and should be quashed."

पुलिस अधीक्षक, पूर्वी सिंहभूम (नगर), जमशेदपुर ने अपने पत्रांक–507/अप0शा0, दिनांक–05.03.12 के साथ प्राप्त जुगसलाई (बागबेड़ा) थाना काण्ड सं0–08/12, दिनांक–05.01.12 में प्रतिवेदित किया गया हैं कि वादी श्री राजेन्द्र दूबे, पु0अ0नि0, थाना प्रभारी, बागबेड़ा को दिनांक–05.01.12 को 01:15 बजे पूर्वाह्न में गुप्त सूचना प्राप्त हुआ कि ग्राम मतलाडीह के चन्द्रशेखर गोराई अपने घर पर गैस कटिंग का अवैध कारोबार करते हैं जिससे कोई गम्भीर विस्फोट होने का सम्भावना है। उक्त सूचना से वरीय पदाधिकारी एवं गैस कम्पनी के एरिया मैनेजर एवं एम0ओ0 को सूचित करते हुए सूचना का सत्यापन एवं जाँच हेतु सुरक्षित थाना पुलिस बल के साथ ग्राम–मतलाडीह स्थित चन्द्रशेखर गोराई उर्फ चन्दु गोराई, पे0–स्व0 नंदलाल गोराई के घर पहुँचे। जाँच के क्रम में चन्द्रशेखर गोराई के दुकान से सात बड़ा गैस सिलेण्डर जिसमें 1. छः एच0पी0 कम्पनी का गैस सिलेण्डर जिसपर 14.20 कि0ग्रा0 अंकित, 2. एक इण्डेन कंपनी का गैस सिलेण्डर जिसपर 14.20 किग्रा0 वजन अंकित, 3. वजन मापने वाला उपकरण–एक, 4. गैस भरनेवाला नोजल–तीन, 5. प्लास–दो, 6. पेचकस–एक एवं 7. एरिया मैनेजर का सर्टिफिकेट को पुलिस द्वारा बरामद किया गया। बरामद सामानों को कोई वैध कागजात प्रस्तुत नहीं करने के कारण पुलिस द्वारा स्वतंत्र गवाहों के समक्ष जप्त कर लिया गया है। पुलिस द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि चन्द्रशेखर गोराई के द्वारा जप्त गैस सिलेण्डर एवं उपकरण गैस कटिंग कर कालाबाजारी के नियत से अवैध रूप से रखा गया था।

विपक्षी के द्वारा समर्पित कारण पृच्छा, थाना प्रतिवेदन एवं उसके साथ संलग्न जप्त सूची सम्पूर्ण अभिलेख एवं उपलब्ध कागजातों का अवलोकन एवं विश्लेषण से स्पष्ट है कि विपक्षी उक्त गैस सिलेण्डर एवं उपकरण गैस कटिंग कर कालाबाजारी के नियत में अनाधिकृत रूप से बिक्री हेतु ले जा रहे थे जो L.P.G. Regulation (Supply and Distribution) Order 2000 की धारा–3/4/5/7 का उल्लंघन है एवं आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा–7 में दण्डनीय अपराध है।

अतः उपरोक्त तथ्यों के आलोक में जुगसलाई (बागबेड़ा) थाना काण्ड सं0–08/12, दिनांक–05.01.12 को सात बड़ा गैस सिलेण्डर जिसमें 1. छः एच0पी0 कम्पनी का गैस सिलेण्डर जिसपर 14.20 कि0ग्रा0 अंकित, 2. एक इण्डेन कंपनी का गैस सिलेण्डर जिसपर 14.20 किग्रा0 वजन अंकित, 3. वजन मापने वाला उपकरण–एक, 4. गैस भरनेवाला नोजल–तीन, 5. प्लास–दो, 6. पेचकस–एक एवं 7. एरिया मैनेजर का सर्टिफिकेट जप्त किया जाता है। आदेश की प्रति आवश्यक कार्यवाही हेतु विशिष्ट अनुभाजन पदाधिकारी, पूर्वी सिंहभूम, जमशेदपुर, थाना प्रभारी, जुगसलाई (बागबेड़ा) को भेजें।

विधि–व्यवस्था एवं अन्य आवश्यक कार्यो में व्यस्तता के कारण आदेश आज दिनांक 31.05.2016 को पारित किया जा रहा है।

लेखापित एवं संशोधित

उपायुक्त
पूर्वी सिंहभूम, जमशेदपुर।

उपायुक्त
पूर्वी सिंहभूम, जमशेदपुर।